



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04032025-261464
CG-DL-E-04032025-261464

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 151]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 4, 2025/फाल्गुन 13, 1946

No. 151]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 4, 2025/PHALGUNA 13, 1946

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 फरवरी, 2025

फा. सं. बी-33013/2/2024-स्था.-IV.— कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम, 1950 के विनियम 10 के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 25 के अनुसरण में, अध्यक्ष, कर्मचारी राज्य बीमा निगम एतद्वारा सिक्किम के लिए क्षेत्रीय बोर्ड का गठन करता है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे, अर्थात: -

क्र.सं.	प्रतिनिधि का नाम	पदनाम	विनियम के अधीन
1.	मंत्री, श्रम विभाग, सिक्किम सरकार	अध्यक्ष	विनियम 10(1)(क)
2.	मंत्री, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, सिक्किम सरकार	उपाध्यक्ष	विनियम 10(1)(ख)
3.	प्रधान सचिव/सचिव, श्रम विभाग, सिक्किम सरकार	सदस्य	विनियम 10(1)(ग)
4.	प्रशासनिक चिकित्सा अधिकारी, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, सिक्किम	पदेन सदस्य	विनियम 10(1)(घ)(i)
5.	राज्य चिकित्सा अधिकारी, क.रा.बी.निगम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल	पदेन सदस्य	विनियम 10(1)(घ)(ii)

6.	श्री कुलदीप सिंह गर्लयाल, मानव संसाधन प्रमुख, सिप्ला फार्मास्युटिकल लिमिटेड, कुमरेक, रंगपो	नियोक्ता प्रतिनिधि	विनियम 10(1)(ड)
7.	सुश्री रूहामाह एल. लेप्चा, मानव संसाधन उप प्रबंधक, ग्लेनमार्क फार्मास्युटिकल लिमिटेड, मार्चक, गंगटोक	नियोक्ता के अतिरिक्त प्रतिनिधि	विनियम 10(1) का परंतुक
8.	श्री ओम प्रकाश यादव, मानव संसाधन, अल्केम लेबोरेटरीज, समरडुंग, नामची	नियोक्ता के अतिरिक्त प्रतिनिधि	विनियम 10(1) का परंतुक
9.	सुश्री सम्जना सुब्बा, वरिष्ठ सहायक, मेफेयर स्पा रिसॉर्ट्स और कैसीनो, गैंगटोक	कर्मचारी प्रतिनिधि	विनियम 10(1)(ड)
10.	श्री जय नारायण अधियाकरी, अस्थायी कामगार, सन फार्मास्युटिकल लेबोरेटरीज लिमिटेड, रानीपूल, गंगटोक	कर्मचारियों के अतिरिक्त प्रतिनिधि	विनियम 10(1) का परंतुक
11.	श्री तिलक छेत्री, संविदात्मक कर्मचारी, एलेम्बिक फार्मास्युटिकल लिमिटेड, समरडुंग, नामची	कर्मचारियों के अतिरिक्त प्रतिनिधि	विनियम 10(1) का परंतुक
12.	क्षेत्रीय निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, कोलकाता	सदस्य सचिव	विनियम 10(3)

रत्नेश कुमार गौतम, बीमा आयुक्त

[विज्ञापन-III/4/असा./1009/2024-25]

EMPLOYEE'S STATE INSURANCE CORPORATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st February, 2025

F. No. V-33013/2/2024- E-IV.—In pursuance of Section 25 of the ESI Act, 1948 (34 of 1948) read with Regulation 10 of ESI (General) Regulations, 1950, the Chairman, ESI Corporation hereby constitutes the Regional Board for Sikkim, which shall consist of the following members, namely: -

S. No.	Name of Representative	Designation	Under Regulation
1.	Minister, Labour Department, Government of Sikkim	Chairman	Reg. 10(1)(a)
2.	Minister, Health & Family Welfare Department, Government of Sikkim	Vice-Chairman	Reg. 10(1)(b)
3.	Principal Secretary / Secretary, Labour Department, Government of Sikkim	Member	Reg. 10(1)(c)
4.	The Administrative Medical Officer, Employees State Insurance Scheme, Sikkim	Ex-Officio Member	Reg. 10(1)(d)(i)
5.	State Medical Officer, ESIC, Sikkim & West Bengal	Ex-Officio Member	Reg. 10(1)(d)(ii)
6.	Mr. Kuldeep Singh Garlyal, HR Head, Cipla Pharmaceutical Ltd, Kumrek, Rangpo	Employers' Representative	Reg. 10(1)(e)

7.	Ms. Ruhamah L. Lepcha, HR Deputy Manager, Glenmark Pharmaceutical Ltd, Marchak, Gangtok	Employers' Additional Representative	Proviso to Reg. 10(1)
8.	Mr. Om Prakash Yadav, HR, Alkem Laboratories, Samardung, Namchi	Employers' Additional Representative	Proviso to Reg. 10(1)
9.	Ms. Samjana Subba, Sr Assistant, Mayfair Spa Resorts & Casino, Gangtok	Employees' Representative	Reg. 10(1)(e)
10.	Mr. Jai Narayan Adhiakri, Casual Workers, Sun Pharmaceutical Laboratories Ltd, Ranipool, Gangtok	Employees' Additional Representative	Proviso to Reg. 10(1)
11.	Mr. Tilak Chettri, Contractual Worker, Alembic Pharmaceutical Ltd, Samardung, Namchi	Employees' Additional Representative	Proviso to Reg. 10(1)
12.	Regional Director, Employees State Insurance Corporation, Kolkata	Member Secretary	Regulation 10(3)

RATNESH KUMAR GAUTAM, Insurance Commissioner

[ADVT.-III/4/Exty./1009/2024-25]